प्रेस नोट

दिनांक 11.04.2024

थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा 15,000/- रुपये का इनामिया अन्तर्जनपदीय लूट का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 10.04.2024 को समय करीब 23.35 बजे पैलानी तिराहा कस्बा सुमेरपुर से अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 15,000/- रुपये का इनामिया अन्तर्जनपदीय लूट में वांछित अभियुक्त भोलू उर्फ शिवाशु सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी ग्राम बसिला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 26.12.2023 को ग्राम देवगाँव पुरानी मोरंग डम्प के पास बैंक मित्र श्री सुशील सिंह पुत्र श्री कमलेश सिंह निवासी ग्राम कुण्डौरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के साथ अभियुक्त भोलू उर्फ शिवाशु सिंह अपने साथियों के साथ कारित लूट की घटना में लगातार वांछित चल रहा था। जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर द्वारा दिनांक 24.02.2024 को 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः–

भोलू उर्फ शिवाशु सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी ग्राम बसिला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 631/2023, धारा – 395/412 भा0द0सं (वांछित)

2.मु0अ0सं0, – 151/2024, धारा – 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी का विवरणः-

एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर अवैध

बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 राहुल मिश्रा

2.का0 अमित यादव

3.का0 दिलीप कुमार